संख्या-7/2017/421जेड/6-सा-3-2017-25जी/16

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ एवं सेवा सदन मथुरा के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ एवं सेवा सदन, मथुरा के कार्यालय अधिष्ठान हेतु आय-व्ययक में प्रथम 05 माह के लिये लेखानुदान द्वारा प्रावधानित **रू0 34,58,000/- (रू0 चौंतीस लाख अटठावन हजार मात्र)** की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20-03-2017 के साथ संलग्न कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02-01-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखा शीर्षक/मद	**प्रावधानित धनराशि (हजार रूपयों में)**	**स्वीकृत धनराशि (हजार रूपयों में)**
अनुदान संख्या-28 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें- 200-अन्य योजनायें-03-स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी सेवा सदन		
01-वेतन	61·68	25·70
02-मजदूरी	0·30	0·12
03-मंहगाई भत्ता	3·08	1·28
04-यात्रा व्यय	0·25	0·10
06-अन्य भत्ते	2·56	1·00
07-मानदेय	0·25	0·10
08- कार्यालय व्यय	0·60	0·25
09-विद्युत देय	5·00	2·00
10-जलकर /जल प्रभार	0·50	0·20
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0·50	0·20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0·30	0·12
13-टेलीफोन पर व्यय	0·30	0·12
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0·50	0·20
29-अनुरक्षण	2·00	0·83
39-औषधि तथा रसायन	0·30	0·12
41-भोजन व्यय	4·30	1·79
42-अन्य व्यय	0·10	0·04
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0·10	0·04
45-अवकाश यात्रा व्यय	0·15	0·06
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /सॉफ्टवेयर का क्रय	0·01	0·01
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0·05	0·02
49-चिकित्सा व्यय	0·65	0·27
51-वर्दी व्यय	0·01	0·01
योग	**रू0 83·49**	**रू0 34·58**

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहाँ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कडाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखा शीर्षक "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02-01-2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2017/421(1)जेड/6-सा-3-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-वरिष्ठ आडिट ऑफीसर (आडिट/प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
9- अधीक्षक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ।
10-इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नेट सेल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in